



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 जुलाई, 1977
श्रावण 3, 1899 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2172 / सत्रह-वि०-1--65-1977

लखनऊ, 26 जुलाई, 1977

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 पर दिनांक 25 जुलाई, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण)
अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1977)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: -

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा
विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2 - इस अधिनियम में "समाचार-पत्र" का तात्पर्य किसी ऐसी नियतकालिक मुद्रित कृति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका-टिप्पणियां प्रस्तावित हों।

परिभाषा

विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन का विशेषाधिकृत होना

3 - (1) उपधारा (2) में अथवा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी सदन की किन्हीं भी कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन के हेतु, किसी समाचार एजेंसी द्वारा साक्ष्यों के प्रदान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में, किन्हीं सिविल अथवा दण्डिक कार्यवाहियों के लिये, तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि प्रकाशन विद्वेष से किया गया साबित न हो जाय।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करता है जिसका प्रकाशन लोक-कल्याण के लिये नहीं है।

विधान मण्डल की कार्यवाहियों के वेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी अधिनियम का लागू होना

4 यह अधिनियम किसी प्रसारण स्टेशन द्वारा व्यवस्थित किसी कार्यक्रम अथवा सेवा के भाग के रूप में वेतार टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों अथवा साक्ष्यों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों अथवा साक्ष्यों के सम्बन्ध में लागू होता है।

विचारार्थान कार्यवाहियों के संबंध में लागू होना

5 यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दायीनी या फौजदारी न्यायालय में विचारार्थान हों।

No. 2172/XVII-V-1-65-77

Dated Lucknow, July 26, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Ki Karyawahiyon (Prakashan Ka Sanrakshan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 25, 1977:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE PROCEEDINGS
(PROTECTION OF PUBLICATION) ACT, 1977

[U. P. ACT NO. 10 OF 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to protect the publication of reports of proceedings of the Uttar Pradesh State Legislature

It IS HEREBY enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Proceedings (Protection of Publication) Act, 1977.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definition.

2. In this Act, "newspaper" means any printed periodical work containing public news or comments on public news.

Publication of reports of Legislature Proceedings privileged.

3. (1) Save as otherwise provided in sub-section (2), no person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper or in respect of the supply by a news agency for publication in a newspaper of a substantially true report of any proceedings of either House of the Uttar Pradesh State Legislature unless the publication is proved to have been made with malice.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be construed as protecting the publication of any matter, the publication of which is not for the public good.

Act also to apply to Legislature Proceedings broadcast by wireless telegraphy.

4. This Act shall apply in relation to reports or matters broadcast by means of wireless telegraphy as part of any programme or service provided by means of a broadcasting station as it applies in relation to reports or matters published in a newspaper.

Application to pending proceeding.

5. This Act shall also apply in relation to any proceeding pending in any civil or criminal court on the date of commencement of this Act.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।